

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. रि. 17.17/11.14 जिला दमोद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4.9.15	<p>प्रकरण में आवेक अधीन दयाशंकर त्रिवेदी उषा उषा हुआ गया।</p> <p>उसके बाद वही ठीक प्रसूत किए जो निगली मिश्रों में अंकित हैं। प्रसूत ठीक पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ-ध्यालय के आदेश दिनांक 17.2.14 का अयत्न किया गया। प्रकरण में मुख्य विवाद कि प्रकृत पक्ष के आधार पर निर्णय लेने के लिए अधीनस्थ-ध्यालय को विवृत विवेचना नहीं की गई है जो उचित नहीं है अधीनस्थ-ध्यालय को विवेचना कर लौकिक आदेश जारी करना चाहिए जो नहीं किया गया।</p> <p>विवेचना के आधार पर आदेश दिनांक 17.2.14 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अर्थात् इस निर्देश के साथ प्रभावित किया जा रहा है कि उभय पक्षों को सुनवाई का अवसर देना प्रकरण में दोबारा हुआ स्पष्ट आदेश जारी करें। उक्त निर्देशों के साथ प्रकरण इसी तरह पर समाप्त किया जाता है।</p>	<p>[Handwritten Signature]</p> <p>सदस्य</p>

आयुक्त